



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 751 राँची, मंगलवार 28 अग्रहायण, 1945 (श०)
19 दिसम्बर, 2023 (ई०)

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

20 अप्रैल, 2023

विषय: व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्र जो Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उन प्रशिक्षुओं से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए लिए Advanced Graduate Apprentice एवं Advanced Technician Apprentice के रूप में कार्य लिए जाने के संबंध में।

संख्या-त०शि०प्र०विविध-33/2017- 392--व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र (BOPT, ER), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त छात्रों को एक वर्ष के लिए विभिन्न Apprentices Scheme अन्तर्गत एक वर्ष हेतु प्रशिक्षण दी जाती है। कई राज्यों में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा डिप्लोमा संस्थानों के

उत्तीर्ण छात्रों को एक नियत छात्रवृत्ति देकर एक वर्ष के लिए क्रमशः Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रूप में प्रशिक्षण दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। झारखण्ड राज्य में भी इस व्यवस्था को विभागीय संकल्प (जापांक- 765, दिनांक- 17.08.2021) के आलोक में लागू किया गया है।

2) ऐसी स्थिति में सभी पोलिटेकनिक संस्थानों तथा अभियंत्रण महाविद्यालय में पढाये जाने वाले शाखाओं को ध्यान में रखते हुए डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) की कुल संख्या का आकलन निम्न तालिकानुसार किया गया है:

	प्रति संस्थान प्रशिक्षुओं की संख्या
अभियंत्रण महाविद्यालय हेतु (क)	01. शाखावार दो डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) 02. शाखावार दो डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices), 03. विषय Library–Information Science के डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) छः
पोलिटेकनिक संस्थानों हेतु (ख)	01. शाखावार एक डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) 02. शाखावार दो डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices), 03. विषय Library – Information Science के डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) - चार

(i) डिग्रीधारी प्रशिक्षु के लिए प्रति प्रशिक्षु छात्रवृत्ति ₹0 15,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि ₹0 10,500/- शामिल है तथा डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए के लिए कुल छात्रवृत्ति ₹0 10,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि ₹0 6,000/- शामिल है, का भुगतान किया जा रहा है। प्रति माह छात्रवृत्ति की अवशेष राशि यथा- डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु ₹0 4500/- एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु ₹0 4000/- की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त की जा रही है।

(ii) इस अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु, डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त छात्र, जो National Apprenticeship Training Scheme (NATS) के Portal (www.mhrdnats.gov.in) पर पंजीकृत करना होता है और चयन के उपरांत आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(iii) राज्य के प्रत्येक राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शाखावार प्रयोगशाला / कर्मशाला / पुस्तकालय की व्यवस्था की गयी है और इसके लिए कुछ संस्थानों में

प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक तथा सहायक पुस्तकाध्यक्ष जैसे Supporting Staff के पद सृजित हैं। परन्तु, इनमें से अधिकतर पद रिक्त रहने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।

(iv) वर्तमान में 04 नये पोलिटेकनिक संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक, सिमडेगा, साहेबगंज, जगन्नाथपुर तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक दुमका में शिक्षकों AICTE के नियमानुसार तथा शिक्षकेतर कर्मियों का संस्थानिक शाखाओं के आधार पर का पद सृजन किया गया है, तथा अन्य सभी पोलिटेकनिक संस्थानों तथा अभियंत्रण महाविद्यालय के पदों का Re-structuring का कार्य किया जा रहा है।

- 3) राज्य के विभिन्न राजकीय तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के प्रयोगशालाओं / कर्मशालाओं/ पुस्तकालयों के लिए क्रमशः प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक तथा लाइब्रेरियन के कार्य हेतु Apprentices Scheme अन्तर्गत प्रशिक्षु अभ्यर्थियों का चयन कर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ऐसे चयनित प्रशिक्षु अभ्यर्थियों के जहां एक ओर व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में भी यह सहायक है। प्रशिक्षण के दौरान ऐसे प्रशिक्षु छात्र उस संस्थान में अतिरिक्त Supporting Staff के तौर पर भी उपलब्ध होते हैं।

ये प्रशिक्षु एक साल में प्रयोगशालाओं / कर्मशालाओं के कार्यों में दक्ष हो गए हैं तथा पर्याप्त मानवबल के आभाव में इनसे कार्य लिए जाने से छात्रों के प्रयोगशालाओं / कर्मशालाओं से सम्बंधित वर्ग कार्य कराए जाने में सहूलियत होगी तथा प्रशिक्षुओं का Skill enhancement भी होगा। ऐसी स्थिति में कई प्रशिक्षुओं तथा संस्थानों के द्वारा इन दक्ष हो चुके प्रशिक्षुओं से आगे भी कार्य लिए जा सकने की अनुमति की मांग की गयी है।

- 4) विभाग द्वारा इस संबंध में सुझाव के लिए कार्यालय आदेश स०-02, दिनांक-03.01.2023 के माध्यम से समिति का गठन किया गया। उक्त समिति के द्वारा दिनांक-05.01.2023 की बैठक में निम्न सुझाव दिया गया-
 - i. BOPT के माध्यम से चयनित प्रशिक्षुओं का एक वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरान्त उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से राज्य स्कीम अंतर्गत एक वर्ष के लिए अतिरिक्त उन्नत (Advanced) प्रशिक्षण दिया जा सकता है। एक वर्ष में उन्नत (Advanced) प्रशिक्षण के एक वर्ष की अवधि में संस्थान में लैब, वर्कशॉप, अन्य कार्यों में उनसे सहयोगी के रूप में कार्य लिया जा सकता है।
 - ii. उन्नत (Advanced) प्रशिक्षण के दौरान डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु को 12000/- तथा डिग्रीधारी प्रशिक्षु को 18000/- Stipend के रूप में राशि राज्य स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत किया जा सकता है।
 - iii. उन्नत (Advanced) प्रशिक्षण पूरा करने के उपरान्त प्रशिक्षुओं को संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, संबंधित संस्थान के निदेशक/प्राचार्य तथा संबंधित संस्थान के नामित पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से Certificate निर्गत किया जा सकता है।
 - iv. पूर्व की भाँति आकस्मिक छुट्टी एक वर्ष में 12 दिनों की स्वीकृति दी जा सकती है।
- 5) पूर्व में विभाग अंतर्गत संचालित एक मात्र अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 17 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में Apprentices Scheme अन्तर्गत प्रशिक्षु अभ्यर्थियों का चयन की

व्यवस्था की गयी थी। परन्तु वर्तमान शैक्षणिक सत्र से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में भी छात्रों का नामांकन कराते हुए वर्ग कार्य कराया जा रहा है।

ऐसी स्थिति में सभी पोलिटेकनिक संस्थानों तथा अभियंत्रण महाविद्यालय में पढाये जाने वाले शाखाओं को ध्यान में रखते हुए डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) को व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र (BOPT, ER), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के समाप्ति के उपरांत संस्थान में Advanced Apprentices के रूप में रखे जाने से नये प्रशिक्षुओं एवं संस्थान में अध्यनरत छात्र को प्रयोगशाला एवं कर्मशाला में बेहतर सुविधा प्राप्त होगी तथा शैक्षणिक माहौल बेहतर होगा। इसके अलावा पुस्तकालय का दैनिक कार्य करने में भी सुविधा होगी।

6) अतः राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया जाता है:-

- i. व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में उत्तीर्ण (डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त) राज्य के छात्रों को Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रूप में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू तथा पूर्व से संचालित संस्थानों में नए शाखाओं हेतु भी किया जाय। प्रशिक्षुओं की संख्या की गणना कंडिका संख्या 2 के अनुसार की जाएगी।
- ii. Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices जो एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर संबंधित विषयक्षेत्र दक्ष हो चुके हैं, वैसे इच्छुक Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices से एक अतिरिक्त वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः Advanced Graduate Apprentices एवं Advanced Technician Apprentices के रूप में कार्य लिया जा सकेगा। उन्नत (Advanced) प्रशिक्षण के एक वर्ष की अवधि में संस्थान में लैब, वर्कशॉप, लाइब्रेरी आदि अन्य कार्यों में उनसे सहयोगी के रूप में कार्य लिया जायेगा। Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices को Advanced Apprentices के लिए अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए ही रखा जायेगा।
- iii. एक वर्ष के अतिरिक्त प्रशिक्षण की अवधि में Advanced Graduate Apprentices के लिए कुल छात्रवृत्ति ₹0 18,000 /- प्रति माह तथा Advanced Technician Apprentices के लिए कुल छात्रवृत्ति ₹0 12,000 /- प्रति माह का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा। Advanced Technician Apprentices
- iv. Advanced Graduate Apprentices Pion वर्ष में 12 दिनों की छुट्टी अनुमान्य होगी।
- v. एक वर्ष के उन्नत (Advanced) प्रशिक्षण पूरा करने के उपरान्त Advanced Graduate Apprentices तथा Advanced Technician Apprentices को संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, संबंधित संस्थान के निदेशक / प्राचार्य तथा संबंधित

संस्थान के नामित पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से Certificate निर्गत किया जायेगा ।

- vi. पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प (जापांक- 765, दिनांक - 17.08.2021) को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
- 7) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय रु0 6,11,28,000 /- (छः करोड़ ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार रुपये मात्र) का वहन विभाग के राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष 2203 - तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण, उप शीर्ष - A7 - प्रशिक्षण एवं विकास, संस्थानीय नेटवर्किंग और सहयोग मद के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा ।
- 8) प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.02.2023 को संपन्न बैठक में सशर्त अनुशंसा प्राप्त है। योजना प्राधिकृत समिति के शर्त का अनुपालन संलेख की कंडिका 6 (i) तथा 6 (ii) में है।
- 10) प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 17.04.2023 में मद संख्या - 01 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव ।
